न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

अपील संख्याः 136/12 **निर्णय दिनांकः— 27.09.2018**

1. सत्तार खॉ पुत्र पठाने खॉ जाति मुसलमान निवासी बेरियावाली तहसील खाजुवाला जिला बीकानेर।

—अपीलांट

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, खाजुवाला।
2. उप वन संरक्षक, वन मण्डल, छत्तरगढ़।

—रेस्पोडेन्ट्

अपील विरुद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 16—06—2011
उपखण्ड अधिकारी, खाजुवाला

उपस्थितः—

1. श्री धीरेन्द्र सिंह भदौरिया, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, खाजुवाला के निर्णय व डिक्री दिनांक 16—06—2011 जिसके द्वारा अपीलांट का दावा तथ्यों व कानून के विपरीत जाकर खारिज किया गया है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष को सुना गया।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने बहस करते हुए कथन किया कि अपीलांट/वादीगण को बतौर भूमिहीन चक 1 एमडीएम के मुरब्बा नम्बर

223/59 के किला नम्बर 1 ता 25 में 25 बीघा भूमि पुख्ता आवंटित की गई थी। आवंटन पश्चात् अपीलांट को मौके पर विधिवत कब्जा भी प्रदान कर दिया गया था। वर्तमान में मौके पर अपीलांट की ढाणी व पानी का कुण्ड बना हुआ है तथा मौके पर अपीलांट की फसल काश्त है। अपीलांट को आवंटित उक्त भूमि नहर में बनने के बाद उक्त भूमि के चक 4 पीकेडी बने जो हाल 14 पीकेडी के मुरब्बा नम्बर 224/59 बने है। अपीलांट को आवंटित भूमि राजस्व रिकार्ड में रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के नाम बिना किसी सक्षम आदेश के दर्ज कर दी गई। जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष धोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती का वाद पेश किया गया। जिस पर अदालत मातहत द्वारा बिना किसी प्रकार की सुनवाई के मात्र सरसरी तौर पर आदेश जैर अपील पारित करने में कानूनी भूल कारित की है।

उन्होनें आगे बताया कि विधि का यह सर्वमान्य सिद्वान्त है कि वादपत्र पर जवाब दावा लेकर, तनकीयात् कायम कर, साक्ष्य व स बूत का अवसर प्रदान करते हुए विधिवत निर्णय पारित किया जाना चाहिए। परन्तु अदालत मातहत द्वारा बिना विधिक प्रक्रिया को अपनाये ही आदेश जैर अपील पारित किया गया है। यदि अपीलांट को सुनवाई व सबूत का उचित अवसर प्रदान किया जाता तो अपीलांट तमाम सबूत, साक्ष्य, कब्जा काश्त के साक्ष्य, पड़ौसियों के बयान व तनकीयात् सिद्व करता मगर अदालत मातहत द्वारा ऐसी किसी प्रकार का कोई अवसर अपीलांट को प्रदान किये बिना आदेश पारित करने में कानूनी भूल कारित की है।

उन्होनें आगे बताया कि अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील में जिस रूलिंग को नजीर बनाया गया है उक्त रूलिंग प्रकरण में लागू ही नहीं होती है। न्याय का यह प्रतिपादित सिद्वान्त है कि जहॉ प्रथम आवंटन स्टेण्ड करता तो वहॉ दूसरे को आवंटन नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार प्रकरण में रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा यह कहीं भी अंकित नहीं किया गया है कि वादगत् भूमि उन्हें किस आदेश के माध्यम से व कब आवंटित की गई। मात्र कयास के आधार पर अपीलांट का दावा मात्र सरसरी तौर पर अदालत मातहत द्वारा खारिज करने में कानूनी त्रूटि कारित की गई है। जबकि वादगत् भूमि पर आज दिनांक को भी अपीलांट का कब्जा काश्त चला आ रहा है। अदालत मातहत द्वारा

वादगत् भूमि के बाबत् किसी प्रकार की कोई रिपोर्ट पटवारी आदि मौके की वास्तविक स्थिति के बारे में प्राप्त नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत का आदेश एक अपूर्ण आदेश की परिभाषा में आता है। लिहाजा अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर आदेश जैर अपील निरस्त फरमाया जाकर अपीलांट को वादगत् भूमि का खातेदार काश्तकार धोषित किया जावे।

मियांद के संबंध में विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने कथन किया कि अपीलांट को आदेश जैर अपील की प्रथम जानकारी दिनांक 29—10—2012 को प्राप्त हुई जब वह अपने अधिवक्ता के पास प्रकरण की वस्तुस्थिति की जानकारी प्राप्त करने गया। प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय में नियुक्त अधिवक्ता द्वारा न्यायालय में देखकर बताया कि आपका वाद तो दिनांक 16—06—2011 को खारिज कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट को आदेश जैर अपील की प्रथम जानकारी दिनांक 29—10—2012 को प्राप्त होने पर दिनांक 30—10—2012 को बाद तैयारी नकल अपील बिना विलम्ब के प्रस्तुत की जा रही है। ऐसी स्थिति में प्रकरण में विलम्ब को माफ करते हुए अपील मियांद अन्दर शुमार किये जाने के आदेश प्रदान किये जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने बहस करते हुए कथन किया कि वादगत् भूमि अपीलांट के पिता के नाम कभी भी राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं रही है। जबकि वादगत् भूमि अपीलांट के आवंटन से पूर्व ही रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को आवंटितशुदा भूमि है तथा आवंटन पश्चात् से ही वादगत् भूमि पर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 का कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के अपील संख्या 202/95 टी.एन.गोडा बनाम युनियन बैंक ऑफ इण्डिया एवं अन्य रिट पिटिशन में दिनांक 12—12—1996 को पारित निर्णय के अनुसरण में आदेश जैर अपील पारित किया गया है।

अतः अपीलांट/वादीगण उक्त भूमि को बहाल कराने के अधिकारी नहीं है। अदालत मातहत द्वारा राजस्व रिकार्ड व कब्जे काश्त के आधार पर नियमानुसार वाद का विस्तृत विवेचन करते हुए अपीलांट/वादीगण का वाद खारिज किया गया है। जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज की जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) प्रकरण में जहॉ तक मियांद का प्रश्न है अपीलांट द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 16—06—2011 के विरूद्व अपील 30—11—2012 को प्रस्तुत की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया हैं। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

(2) हस्तगत् प्रकरण में अदालत मातहत के समक्ष अपीलांट/वादीगण द्वारा दावा धोषणात्मक रिकार्ड दुरूस्ती व प्राप्त करने चिर अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत् चक 1 एमडीएम के मुरब्बा नम्बर 224/59 में 25 बीघा भूमि बाबत् अन्तर्गत धारा 88, 188, 92 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 136 भू—राजस्व अधिनिमय के अन्तर्गत प्रस्तुत किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा अपीलांट/वादीगण का वाद खारिज किये जाने के फलस्वरूप उक्त अपील अपीलांट् द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

(2) प्रकरण में अपीलांट का मुख्य कथन है कि वादगत् भूमि बतौर भूमिहीन चक 1 एमडीएम के मुरब्बा नम्बर 223/59 के किला नम्बर 1 ता 25 में 25 बीघा भूमि पुख्ता आवंटित की गई थी तथा आवंटन पश्चात् अपीलांट को मौके पर विधिवत कब्जा भी प्रदान कर दिया गया था। वर्तमान में मौके पर अपीलांट की ढाणी व पानी का कुण्ड बना हुआ है तथा मौके पर अपीलांट की फसल काश्त है। अपीलांट को आवंटित उक्त भूमि नहर में बनने के बाद उक्त भूमि के चक 4 पीकेडी बने जो हाल 14 पीकेडी के मुरब्बा नम्बर 224/59 बने है। अपीलांट को आवंटित भूमि राजस्व रिकार्ड में रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के नाम बिना किसी सक्षम आदेश के दर्ज कर दी गई। जिसकी धोषणा करवाने का अपीलांट/वादीगण कानूनन अधिकारी है।

(3) हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों व निर्णय का अवलोकन किया। प्रकरण में प्रस्तुत खसरा गिरदावरी के अवलोकन से साबित होता है कि वादगत् भूमि वन विभाग के नाम दर्ज चली आ रही है। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को ऐसी भूमि का आवंटन किया गया है जो पूर्व में ही रिकार्ड में वन विभाग के नाम दर्ज चली आ रही है। जबकि विधि का यह सर्वमान्य सिद्वान्त है कि किसी भूमि का प्रायर आवंटन होने के पश्चात् संदर्भित भूमि का अन्य किसी व्यक्ति को आवंटन नहीं किया जा सकता है।

(4) प्रकरण में वादगत् भूमि जोकि वन विभाग को आवंटित भूमि है। उक्त भूमि पर वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण का कार्य किया हुआ है तथा वादगत् भूमि पर वानिकी कार्य कर रहा है। प्रकरण में अपीलांट द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य ना तो अदालत मातहत के समक्ष ना ही न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत किया गया है जिससे वादगत् भूमि पर अपीलांट का किसी प्रकार का कोई कब्जा काश्त साबित होता है। केवल मात्र मौखिक कथन के आधार पर अपीलांट का वादगत् भूमि पर कब्जा स्वीकार नहीं किया जा सकता। बिना कब्जे काश्त के वादगत् भूमि पर अपीलांट के किसी प्रकार के अधिकार उत्पन्न नहीं होते है।

(5) अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील पारित करते समय माननीय उच्चतम न्यायालय के अपील संख्या 202/95 बउनवान टी.एम. गोड़ा बनाम युनियन ऑफ इण्डिया में पारित निर्णय दिनांक 12—12—1996 का हवाला दिया गया है जिसमें स्पष्ट रूप से अभिलिखित किया गया है कि सरकारी रिकार्ड में जो भूमियॉ वन भूमि दर्ज हो चुकी है उन भूमियों पर फोरेस्ट कन्जरवेशन एक्ट, 1980 के समस्त प्रावधान लागू होंगे चाहे फोरेस्ट भूमि का वर्गीकरण या स्वामित्व किसी भी प्रकार का हो तथा ऐसे इन्द्राज को माननीय उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त दिशा निर्देशों के कारण रिकार्ड के हटाने की अनुमति नहीं होगी।

ऐसी स्थिति में चूंकि वादगत् भूमि वर्तमान में वन विभाग के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज चली आ रही है। अपीलांट दस्तावेजी रिकार्ड के आधार पर वादगत् भूमि पर अपने अधिकारों को साबित करने में असफल रहा है। लिहाजा उक्त भूमि पर अपीलांट के हक व हकूक साबित नहीं होते है। अतः अदालत मातहत द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में हम हस्तक्षेप करना उचित/न्यायसंगत नहीं पाते है।

7. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 16—06—2011 उपखण्ड अधिकारी, खाजुवाला यथावत बहाल रखा जाता है।

8. निर्णय आज दिनांक 27.09.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर